न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं.–120/2017

–:: अनवान ::–

1.झण्डु पुत्र गंगाराम जाति मेघवाल निवासी 2 जे.बी.डी. तहसील सूरतगढ़

–प्रार्थी

बनाम

1.चावली पत्नी मोहनलाल जाति मेघवाल सा. टिब्बी तहसील टिब्बी हनुमानगढ़
2.सुमन पुत्री मोहनलाल जाति मेघवाल सा. टिब्बी तहसील टिब्बी हनुमानगढ़
3.कलावती पुत्री गंगाराम जाति मेघवाल सा. 2 जे.बी.डी. तहसील सूरतगढ़
4.तहसीलदार सूरतगढ़

–प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्तकारी अधिनियम–1955

उपस्थितः–1.श्री अजय अरोड़ा अधिवक्ता प्रार्थी
2.श्री कुलविन्द्रसिंह अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 ता 3
3.पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़

–:: निर्णय ::– दिनांकः–23.12.2019

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थनाा पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता गंगाराम के भाई भागला पुत्र चन्दू के नाम चक 2 जेबीडी तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत 2069–72 खाता सं. 86 के प0नं0 213/27 कि0नं0 4 ता 7, 14, 15, 17, 18, 23, 24 की 2.530 हैक्टर कमाण्ड भूमि पुख्ता आवंटन दर्ज रिकार्ड है। भागला की मृत्यु हो चुकी है। उनकी कोई संतान नही है व पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी है। भागला के विधिक उत्तराधिकारी एकमात्र भागई, प्रार्थीग के पिता गंगाराम थे। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 3 के पिता गंगाराम की मृत्यु हो चुकी है एवं हम गंगाराम के विधिक वारिसान है प्रश्नगत रकबा पर बहिस्सा बराबर के मालिक है व इसी अनुसार 1/2 हिस्सा भूमि पर प्रार्थी मौका पर काबिज है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने फर्जी कागजात तैयार करवाकर प्रश्नगत रकबा वारिसानामा के आधार पर उक्त भूमि का विरास्तन इंतकाल प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 के नाम दर्ज करवा लिया, जबकि अप्रार्थी सं. 1 व 2 का उक्त रकबा में कोई हक नही है। फर्जी वारिसानामा के आधार पर भूमि का हथियाना चाहते है। अतः जरिये निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे वे प्रश्नगत भूमि को रहन, बैय व किसी प्रकार हस्तातंरित न करें।
2. प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील प्रार्थी को एकतरफा सुना जाकर दिनांक 11.07.2017 को अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम निषेधाज्ञा प्रश्नगत रकबा की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी 2 व 3 ने जरिये वकील जवाब प्रस्तुत किया कि वह गंगाराम के विधिक वारिस है। प्रार्थी अपने हिस्सा तक स्थगन प्राप्त कर सकता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

3. अप्रार्थी सं.1 द्वारा जवाब प्रस्तुत न करने के कारण जवाब बन्द किया गया। योग्य अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
4. योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद के निर्णय तक निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया।
5. योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि गंगाराम पुत्र चन्दूराम का देहांत दिनांक 10.11.1990 को हो चुका है। वारिसनामा दिनांक 03.05.2014 को जारी किया गया। जिसमें गंगाराम के पांच जायज वारिसान है, जिसमें पूर्व पत्नि मीरा का देहांत अंकित है। जो विरास्तन अंकित किया गया है वह सही दर्ज है। गंगाराम के चार वारिस है व प्रत्येक का 1/4 हिस्सा बनता है। प्रार्थीगण अपने हिस्सा पर ही स्थगन लेने का हकदार है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से मय कोस्ट निरस्त किया जावे।
6. हमने योग्य अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 अनुसार चक 2 जेबीडी खाता सं. 86/64 प0नं0 213/27(31) में 2.530 है0 कमाण्ड भूमि मय खाला जरिये विरास्तन इंतकाल संख्या 178 दिनांक 06.01.16 द्वारा चावली पत्नि गंगाराम 1/8 हिस्सा, कलावती 5/16 हिस्सा, झण्डू 5/16 हिस्सा सुमन 1/4 हिस्सा पिसराम गंगाराम जाति मेघवाल सा.देह 1955 के पश्चात का दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण द्वारा राशन कार्ड एवं वोटर लिस्ट की छायाप्रतियां संलग्न की है। प्रार्थी ने अंकित किया है कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 मोहनलाल पुत्र माडुराम सा. टिब्बी के पत्नि व पुत्री है जिन्होने फर्जी तरीके के वारिसानामा तैयार कर अपने नाम भूमि का विरास्तन इंतकाल दर्ज करवा लिया है। प्रार्थी की सगी बहन अप्रार्थी सं. 3 ने अपने जवाब में इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने फर्जकारी कर अपने नाम भूमि करवाई है या वे गंगाराम के वारिस नही है। उभय पक्ष ने वारिसनामा प्रस्तुत नही किया है जिससे विरास्तन इंतकाल दर्ज किया गया है। वारिसनामा गलत तैयार किया गया है या नही? अप्रार्थी संख्या 1 व 2 गंगाराम के वारिस है या नही? यह तथ्य दावा में गवाहों व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत होने के बाद ही तय होगें। इस सम्बन्ध में न्यायालय का मत है कि यदि वादाधीन रकबा अप्रार्थीगण ने अन्य किसी को बेचान कर दिया तो इससे कानून पेचीदगीयां बढ़ेगी एवं दावा बेसुद हो जायेगा।
7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना प्रार्थी स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण दोनो पक्षों को पाबन्द किया जाता है कि वे वाद पत्र के निर्णय तक चक 2 जेबीडी तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत 2069–72 खाता सं. 86 के प0नं0 213/27 कि0नं0 4 ता 7, 14, 15, 17, 18, 23, 24 की 2.530 हैक्टर कमाण्ड भूमि को रहन बैय, हस्तातंरण एवं मौका रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।
8. निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2019.12.27 17:47:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: